भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2515
दिनांक 10 दिसम्बर, 2024/ 19 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

आईपीएस कैडर की समीक्षा

†2515. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को जानकारी है कि 2021 से होने वाली तेलंगाना राज्य के आईपीएस कैडर की समीक्षा नहीं की गई है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय को राज्य की सुरक्षा से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आईपीएस कैडर में 29 पदों की वृद्धि के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री से अनुरोध प्राप्त हुआ है;
(ग) यदि हां, तो इस अनुरोध की वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें होने वाले विलंब के क्या कारण हैं;
(घ) क्या इस वित्तीय वर्ष के भीतर समीक्षा पूरी करने की कोई योजना है; और
(ङ) अंतरिम रूप से राज्य की पुलिस संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): जी, हां। भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियम 1954 के नियम 4(2) के अनुसार, केंद्र सरकार, सामान्य तौर पर, हर पांच साल के अंतराल पर संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से ऐसे प्रत्येक कैडर की संख्या एवं संरचना की फिर से जांच कर सकती है तथा उसमें ऐसे संशोधन भी कर सकती है, जैसा वह उचित समझती हो।

तेलंगाना कैडर की पिछली कैडर समीक्षा वर्ष 2016 में की गई थी और तदनुसार, राज्य की कैडर समीक्षा वर्ष 2021 से होनी है। गृह मंत्रालय के दिनांक 28.01.2021 के पत्र के माध्यम से राज्य सरकार से भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) कैडर की समीक्षा के लिए पूर्ण प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। प्रस्ताव प्राप्त हो गया है तथा स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श से इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

लोक सभा अता. प्र.स. 2515 दिनांक 10.12.2024

(ख) से (घ): जी, हां।

तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य के कैडर समीक्षा प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दिनांक 04.01.2024, 04.07.2024 और 07.10.2024 को अर्ध शासकीय (डी.ओ) पत्र भेजे थे। इस मंत्रालय के दिनांक 31.03.2024, 13.08.2024 और 27.11.2024 के डी.ओ. पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को कैडर समीक्षा की स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

तेलंगाना कैडर के कैडर समीक्षा प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है; तथापि, कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) के अंतर्गत "पुलिस" एक राज्य विषय है तथा तदनुसार, पुलिस व्यवस्था संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन और उनके लिए कार्रवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

तथापि, भारतीय पुलिस सेवा का कैडर नियंत्रण प्राधिकरण होने के नाते, केंद्र सरकार आईपीएस की कैडर एवं क्षमता संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करती है। वर्ष 2021 से अब तक, तेलंगाना कैडर में 49 आईपीएस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

*****